न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम–श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
22/20	अपील	18.09.2020	26.02.2021

श्रीमती संतोष पत्नि मनोज कुमार जाति ब्राहमण निवासी बामनबडौदा, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर –अपीलाण्ट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय, गंगापुर सिटी

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र मिश्र एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से

निर्णय **दिनांक 26.02.2021**

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा निर्णय मिसल 13/2019(विविध) निर्णय दिनांक 05.08.2020 न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के विरूद्व पेश की है।.

2. प्रस्तुत अपील के मुताबिक प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 0.61 हैक्टर खसरा नम्बर 768 रकबा 1.40 हैक्टर सरस्वती उर्फ सरवती पत्नि परमानन्द जाति ब्राहामण हिस्सा 1/6, खसरा नम्बर 360/976 रकबा 0.74 हैक्टर में हिस्सा 1/6 एवं खसरा नम्बर 283 रकबा 0.46 हैक्टर खसरा नम्बर 285 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 286 रकबा 0.84 हैक्टर में सरस्वती उर्फ सरवती पत्नि परमानन्द जाति ब्राहमण हिस्सा 1/6 के कब्जे काश्त, स्वामित्व व खातेदारी की भूमि रही है। सरस्वती उर्फ सरवती ने दिनांक 24.06.2010 को रजिस्टर्ड वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की थी जिसके आधार पर अपीलान्ट ने सरस्वती उर्फ सरवती की उक्त खातेदारी भूमि का नामान्तकरण उनकी मृत्यु दिनांक 01.07.2011 को हो जाने के कारण प्रार्थना–पत्र बाबत खोलने नामान्तकरण पेश किया था जिसे दिनांक 05.08.2020 के आदेश द्वारा रेस्पोडेन्ट ने अस्वीकार कर दिया इससे व्यथित होकर अपील अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि उक्त वर्णित भूमि सरस्वती उर्फ सरवती की खातेदारी, स्वामित्व की थी जिसे उसे रहन व[illegible]रण वसीयत आदि अपने जीवनकाल में करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। [illegible] जीवनकाल में ही उक्त भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत अपीलान्ट के हक में निष्पादित कर दी थी जिस[illegible]वती उर्फ सरवती के वारिसान उनके दोनों पुत्रो को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। इस तथ्य पर गौर किये बिना रेस्पोडेन्ट ने नामान्तकरण खारिज कर दिया जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त होने योग्य है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि को पैतृक भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अंकित कर इस पर किसी प्रकार आपत्ति बाबत एक इश्तिहार पंचायत नोटिस बोर्ड, अटल सेवा केन्द्र कार्यालय, पटवार मंडल कार्यालय व आम चौपाल पर दिनांक 14.02.2019 को चस्पा किया था जिस पर दिनांक 14.06.2019 तक आपत्ति दर्ज नहीं हुई। लेकिन इस पर गौर किये बिना रेस्पोडेन्ट ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर नामान्तकरण खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने अपील में आगे कथन किया है कि पटवारी हल्का ने मिलीभगत कर अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि को पैतृक भूमि अंकित कर दिया जबकि सरस्वती उर्फ सरवती को अपने जीवनकाल में उक्त भूमि को रहन वय, स्थानान्तरण, वसीयत आदि करने के कानूनन सम्पूर्ण अधिकार था तथा वसीयत बाबत भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई थी जबकि रेस्पोडेन्ट के कार्यालय से एक पत्र कमांक भू.अभि./2020/1430/ दिनांक 16.06.2020 नोटिस राष्ट्रीय अखबार में उक्त भूमि पर आपत्ति बाबत भेजा गया जो दिनांक 18.06.2020 को दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित हुआ उस पर भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई फिर भी उक्त भूमि को पैतृक भूमि मानकर रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्णय पारित कर दिया।

4. अपील में अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2020 निरस्त किया जाकर उक्त भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में खोलने के आदेश प्रदान किये जावे।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलब की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।

6. बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की कि सरस्वती उर्फ सरवती को अपने हिस्से 1/6 भूमि के पूर्ण अधिकार थे तथा उसे अपने जीवनकाल में उक्त भूमि को रहन व वसीयत स्थानान्तरण आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। सरस्वती उर्फ सरवती ने दिनांक 24.06.2010 को रजिस्टर्ड वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की थी। सरस्वती उर्फ सरवती की मृत्यु दिनांक 01.07.2011 को हो जाने के कारण अपीलान्ट ने नामांकन खोलने के लिए एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, गंगापुर सिटी को पेश किया जिसे रेस्पोडेण्ट ने गलत रूप से खारिज कर दिया। उक्त वसीयत पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। पटवारी हल्का रेस्पोडेण्ट को प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रश्नगत भूमि को पैतृक भूमि अंकित कर देने मात्र से रेस्पोडेण्ट द्वारा नामान्तकरण को खारिज कर दिया गया। जोकि अनुचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने अपील तथा [illegible] न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वि[illegible] मनन किया। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible]कार अधिनियम 1956 के सुसंगत प्रावधानों का भी अवलोकन व मनन किया।

7. यह स्पष्ट है कि खातेदार आसामी अपनी भूमि क्षेत्र अपने हित या हितांश को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है अन्तिमेच्छा–पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है। विधि के यह भी सुस्पष्ट प्रावधान है कि पैतृक भूमि में पुत्र–पुत्री के जन्म लेते ही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

सहदायिकी के अधिकार उत्पन्न हो जाते है तथा पुत्र–पुत्री पैतृक सम्पत्ति में को–पार्शनर (Coparcener) हो जाती है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति केवल स्व–अर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है क्योंकि उसकी पैतृक भूमि में उसके पुत्र–पुत्रियों के भी हक निहित होते है।

8. हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है। वह हमारी विनम्र राय में बिल्कुल सही है तथा उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

9. विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखना समीचीन है तथा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त करने योग्य है।

10. अतः प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है तथा न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी का निर्णय दिनांक 05.08.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26.02.2021 को सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested